#### THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

- **1. Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 2011.
  - (2) It shall come into force at once.
- 2. Amendment of section 45, Rajasthan Act No. 3 of 1955.—In section 45 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955),-
  - (i) in sub-section (1), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":", shall be substituted and after sub-section (1), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that for the purpose of agricultural operations in connection with such agro-processing and agri-business enterprises as may be approved in the prescribed manner by the State Government or any authority appointed by it, a holder of Khudkasht or a land owner may let or a Khatedar tenant may sub-let whole or any part of his holding for a term of fifteen years and may extend such lease or sub-lease for a further period of fifteen years.";

(ii) in sub-section (2), after the existing expression "has once been granted" and before the existing expression "for any term", the expression "or extended" shall be inserted.

\_\_\_\_\_

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Rajasthan, with its diverse agro-climatic conditions, is richly endowed in the cultivation of a variety of crops. The State is a major producer of oilseeds and spices. With abundance of land, the State is well positioned to develop agro-processing industries and agri-business enterprises, which would have a major impact on the State's economy, particularly in the rural areas.

Availability of agricultural land is among the foremost requirement for setting up agro-processing and agri-business enterprises.

Section 45 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 provides that no holder of Khudkasht or a land owner shall let and no Khatedar tenant or his mortgagee shall sub-let the whole or any part of his holding at any one time for a term exceeding five years.

To make easy availability of agricultural land for setting up agro-processing and agri-business enterprises, aforesaid section 45 is proposed to be amended to enable a holder of Khudkasht or a land owner or a Khatedar tenant to let or as the case may be sub-let his holding for 15 years and to renew the lease for further 15 years for the purpose of agricultural operations in connection with such agro processing and agro-business enterprises as may be approved by the State Government.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives. Hence the Bill.

हेमाराम चौधरी.

Minister Incharge.

## MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 2 of the Bill, which seeks to add a proviso to subsection (1) of section 45 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955, if enacted, shall empower the State Government to prescribe the manner in which agro-processing and agri-business enterprises shall be approved by the State Government for the purpose of aforesaid proviso.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

हेमाराम चौधरी, Minister Incharge.

# EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955 (Act No. 3 of 1955)

XX XX XX XX

- **45. Restriction on letting and sub-letting.-** (1) No holder of Khudkasht or a land owner shall let and no Khatedar tenant or his mortgagees shall sub-let the whole or any part of his holding at any one time for a term exceeding five years.
- (2) Where a lease or sub-lease has once been granted for any term under sub-section (1) no further lease or sub-lease, as the case may be, in respect of the same land shall be granted within two years of the expiry of the first mentioned lease or sub-lease.
- (3) No Ghair Khatedar tenant shall sub-let the whole or any part of his holding for a term exceeding one year.
- (4) No sub-tenant or tenant of Khudkasht shall sub-let the whole or any part of his holding except in circumstances mentioned in section 46.

XX XX XX XX

#### (अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

#### <u>2011 का विधेयक सं. 9</u>

#### राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में प्र:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अभिधृति (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।
  - (2) यह त्रन्त प्रवृत्त होगा।
- 2. 1955 के राजस्थान अधिनियम सं. 3 की धारा 45 का संशोधन.-राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 45 में,-
  - (i) उप-धारा (1) में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिहन "।" के स्थान पर विराम चिहन ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु ऐसे कृषि-प्रसंस्करण और कृषि-कारबार उद्यम, जो राज्य सरकार या इसके द्वारा नियुक्त किसी प्राधिकारी द्वारा विहित रीति में अनुमोदित किये जायें, से संबंधित कृषि संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए, खुदकाश्त का धारक या भू-स्वामी पट्टे पर या खातेदार अभिधारी उप-पट्टे पर, अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग को पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए दे सकेगा और ऐसे पट्टे या उप-पट्टे को पन्द्रह वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।":

(ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रदत्त कर दिया गया है" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "तो उसी भूमि के लिए" के पूर्व अभिव्यक्ति "या बढ़ा दिया गया है" अंत:स्थापित की जायेगी।

#### उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान, अपनी विविध कृषि-जलवायु संबंधी परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती में अत्यधिक समृद्ध है। यह राज्य तिलहन और मसालों का मुख्य उत्पादक है। भूमि की पर्याप्तता होने के कारण राज्य, कृषि-प्रसंस्करण उद्योगों और कृषि-कारबार उद्यमों को विकसित करने के लिए अच्छी स्थिति में है, जिसका राज्य की अर्थव्यवस्था पर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, खासा प्रभाव पड़ेगा।

कृषि-प्रसंस्करण और कृषि-कारबार उद्यम स्थापित करने की आवश्यकताओं में कृषि भूमि की उपलब्धता सबसे पहली आवश्यकता है।

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 45 यह उपबंधित करती है कि खुदकाश्त का धारक या भू-स्वामी पट्टे पर तथा खातेदार अभिधारी या उसका बंधकदार उप-पट्टे पर अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को एक बार में पांच वर्ष से अधिक की अविध के लिए नहीं देगा।

कृषि-प्रसंस्करण और कृषि-कारबार उद्यम स्थापित करने के लिए कृषि भूमि की उपलब्धता को आसान बनाने हेतु, ऐसे कृषि-प्रसंस्करण और कृषि-कारबार उद्यम, जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें, से संबंधित कृषि संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए खुदकाश्त के धारक या भू-स्वामी या खातेदार अभिधारी को अपनी जोत को पन्द्रह वर्ष के लिए पट्टे पर या, यथास्थिति, उप-पट्टे पर देने के लिए और पट्टे को और पन्द्रह वर्ष के लिए नवीकृत करने के लिए समर्थ बनाने हेतु उपरोक्त धारा 45 को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है। अत:विधेयक प्रस्त्त है।

> हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री।

#### प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, जो राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 45 की उप-धारा (1) में परन्तुक जोड़ने के लिए ईप्सित है, अधिनियमित किये जाने पर, राज्य सरकार को वह रीति विहित करने के लिए सशक्त करेगा जिससे उपरोक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि-प्रसंस्करण और कृषि-कारबार उद्यम अनुमोदित किये जायेंगे।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

> हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री।

#### राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं.

3)

#### से लिये गये उद्धरण

\*\* \*\* \*\*

45. पहे या उप-पहे पर देने पर निर्बन्धन.-(1) खुदकाश्त का धारक या भू-स्वामी पहे पर तथा खातेदार अभिधारी या उसका बन्धकदार उप-पहे पर अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को एक बार में पांच वर्ष से अधिक की अविध के लिए नहीं देगा।

- (2) यदि उप-धारा (1) के अधीन कोई पहा या उप-पहा किसी भी अविध के लिए एक बार प्रदत्त कर दिया गया है तो उसी भूमि के लिए कोई अगला पहा या उप-पहा, जैसी भी स्थिति हो, प्रथम वर्णित पट्टे या उप-पट्टे की समाप्ति से दो वर्षों के भीतर प्रदत्त नहीं किया जायेगा।
- (3) गैर खातेदार-अभिधारी अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उप-पट्टे पर नहीं देगा।
- (4) उप-अभिधारी या खुदकाश्त का अभिधारी धारा 46 में वर्णित परिस्थितियों से अन्यथा अपनी सम्पूर्ण जोत या उसके किसी भाग को उप-पट्टे पर नहीं देगा।

#### Bill No. 9 of 2011

#### THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) BILL, 2011

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

# 10 RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A
Bill
further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955.
(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)
(10 be introduced in the Rajastnan Elegislative Assembly)
<del></del>
H. R. KURI,
Secretary.

(HEMA RAM CHAUDHARY, Minister-Incharge)

### <u>2011 का विधेयक सं. 9</u>

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 2011

## (जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा) राजस्थान विधान सभा

\_\_\_\_\_

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।

\_\_\_\_\_

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

\_\_\_\_\_

एच. आर. कुडी, सचिव। (हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री)